फा.सं.एम-11015/02/2017/आरई-III

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा प्रभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 15 सितंबर, 2017

सेवा में

सचिव/प्रधान सचिव,

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़,

झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश,

ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल।

विषय : मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा के विषय में एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा के विषय में एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे ग्राम संसाधन व्यक्तियों (वीआरपी) का सामुदायिक संवर्ग तैयार करना है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा कार्य के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

2. हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में 01 और 02 सितंबर, 2017 को आयोजित की गई परामर्शदात्री कार्यशाला में इस प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यविधियों के विषय में विचार-विमर्श करने के लिए नरेगा राज्यों, सामाजिक लेखापरीक्षा एककों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, 11 राज्यों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3. तदनुसार भागीदार राज्यों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मंत्रालय ने विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।

4. इस एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ से पहले संबंधित सामाजिक लेखापरीक्षा एकक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की विस्तृत समय-सीमाओं की

जानकारी (जिसमें तारीखों और स्थान का उल्लेख किया गया हो) मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज संस्थान को 25 सितंबर, 2017 तक प्रदान करें।

अनुरोध है कि आप अपने-अपने राज्यों में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन में सहायता और सहयोग करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीया

अपराजिता सारंगी

(अपराजिता सारंगी)
संयुक्त सचिव-मनरेगा

प्रति प्रेषित :

1. संयुक्त सचिव, एनआरएलएम
2. महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
3. निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा एकक
4. निदेशक, संबंधित एसआईआरडी
5. निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)

एसएचजी-वीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम
की मानक प्रचालन प्रक्रिया

महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों से ग्राम संसाधन व्यक्तियों (वीआरपी) का सामुदायिक संवर्ग तैयार करने के विषय में मंत्रालय के दिनांक 25 अगस्त, 2017 के पत्र के संदर्भ में यह मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है। तदनुसार, इस प्रशिक्षण के आरंभ की विस्तृत कार्यनीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 11 चयनित राज्यों ने भाग लिया।

परिदृश्य :

भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के विषय में क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों से ग्राम संसाधन व्यक्तियों का सामुदायिक संवर्ग तैयार करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सचिव के दिनांक 02 जनवरी, 2017 के पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि सामाजिक जवाबदेही व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षाओं में स्वसहायता समूहों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुम्बई के सहयोग से वीआरपी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार किया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) की सहायता से संबंधित राज्यों के राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) के सहयोग से स्वसहायता समूहों के लिए वीआरपी प्रशिक्षण के आयोजन की जिम्मेदारी सामाजिक लेखापरीक्षा एककों (एसएयू) को सौंपी गई है।

1. राज्यों का चयन

राज्यों के चयन के मानदंड इस प्रकार हैं:

क. वे राज्य, जहां राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनआरएलपी) के अंतर्गत गहन ब्लॉक कार्यनीति शुरू की जा रही है;

ख. वे राज्य, जहां सामाजिक लेखापरीक्षा एककों की स्थापना हो गई है; और

ग. वे राज्य, जहां सामाजिक जवाबदेही और सामाजिक लेखापरीक्षा के विषय में 30 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सम्पन्न हो गया है। तदनुसार, वीआरपी प्रशिक्षणों के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण शुरू करने हेतु **आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल** नामक दस

राज्यों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त एसआरएलएम मौजूद होने के कारण बिहार को शामिल किया जा रहा है। बिहार में 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हो जाने के बाद यह वीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों और स्वसहायता समूहों की राज्यवार संख्या अनुबंध-। में दर्शाई गई है।

2. प्रशिक्षण संबंधी परिदृश्य :

क. यह प्रस्तावित प्रशिक्षण ब्लॉक/क्लस्टर स्तर पर चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। टाटा समाज विज्ञान संस्थान और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीआरपी प्रशिक्षण कार्यक्रम की नियमावली तैयार की है। इस नियमावली की विषय-वस्तु योजना की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 और सामाजिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार तैयार की गई है। इस कार्यक्रम से वीआरपी मनरेगा को समझ पाएंगे और सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य करने के कौशल सीख पाएंगे। यह नियमावली प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में आधारभूत दिशा-निर्देशों का कार्य करेगी।

ख. यदि राज्यों के सामाजिक लेखापरीक्षा एकक चाहें तो वे अपने राज्य में मौजूद विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्रशिक्षण सामग्री बजटीय सीमा के अधीन रहते हुए उपलब्ध करा सकते हैं। पोस्टरों सहित आईईसी सामग्री को एसएयू तैयार कर सकते हैं (यदि आवश्यक हो तो वे एसआईआरडी इत्यादि के परामर्श से)। आवश्यक समझी जाने वाली अन्य कोई सामग्री भी सामाजिक लेखापरीक्षा एककों को तैयार करके उपलब्ध करानी होगी।

ग. **क्षेत्रीय कार्य घटक** को वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। प्रतिभागियों को नजदीकी ग्राम पंचायत में चल रही सामाजिक लेखापरीक्षा देखने के लिए वहां ले जाया जा सकता है।

3. संसाधन व्यक्तियों-सह-पाठ्यक्रम समन्वयकर्ताओं का चयन

40 प्रतिभागियों के बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम 02 पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता-सह-संसाधन व्यक्तियों से चलाया जाएगा, जो कि चार दिवसीय पाठ्यक्रम में सहायता करेंगे। वीआरपी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम समन्वयकर्ताओं या प्रशिक्षकों का निर्धारण आगे दर्शाए गए मानदंडों के आधार पर किया जाएगा :

क. पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता यथासंभव सामाजिक जवाबदेही और सामाजिक लेखापरीक्षा के विषय में 30 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने वाले संसाधन व्यक्तियों के पूल में से ही होने चाहिए।

ख. पाठ्यक्रम समन्वयकर्ताओं का कम से कम 50 प्रतिशत पूल (अर्थात प्रत्येक बैच में एक प्रशिक्षक) यथासंभव महिलाएं होनी चाहिए।

राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा एकक को ऐसे निर्धारित संसाधन व्यक्तियों का **आरक्षी पूल** यह सुनिश्चित करने के लिए रखना चाहिए कि प्रत्येक बैच के लिए दो पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता उपलब्ध रहें।

4. **वीआरपी प्रशिक्षण के लिए स्वसहायता समूहों के सदस्यों का चयन**

प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत से महिला स्वसहायता समूहों के तीन सदस्यों का निर्धारण करने और उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए राज्य सामाजिक लेखापरीक्षा एकक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की सहायता लेगा। चयन के सुझावपरक मानदंड आगे दर्शाए गए हैं। ग्राम संगठन (वीओ) नामांकन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए :

क. गरीब, भूमिहीन परिवारों से आने वाली सदस्यों को वरीयता दी जानी चाहिए।

ख. उपेक्षित वर्गों (विकलांगो/अ.जा./अ.ज.जा.) से आने वाले स्वसहायता समूहों के सदस्यों को वरीयता दी जानी चाहिए।

ग. सदस्य कम से कम एक वर्ष से स्वसहायता समूह की सक्रिय सदस्य होनी चाहिए।

घ. सदस्य का सक्रिय जॉब कार्ड होना चाहिए और उसने मनरेगा के अंतर्गत काम किया हो।

(ड.) वर्तमान में सदस्य कोई सक्रिय पदधारी (बुककीपर, अध्यक्ष इत्यादि) नहीं होना चाहिए।

(च) सदस्य सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए आसपास की ग्राम पंचायतों/ब्लॉकों में जाने के लिए इच्छुक हो।

एसआरएलएम उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर वीओ की महिला सदस्यों द्वारा नामित किए गए नामों को एकत्र करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक पंचायत के लिए निर्धारित तीन महिलाओं की सूची को स्वच्छता पखवाड़े के दौरान (2 अक्तूबर से 15 अक्तूबर) ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा।

इस अवधि के दौरान सभी 10 राज्यों में वीआरपी को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रशिक्षित सदस्यों को सामाजिक लेखा परीक्षा कार्यों में तैनात करने की जवाबदेही सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई की है।

5. प्रशिक्षण स्थल पर सुनिश्चित की जाने वाली सामान्य न्यूनतम सुविधाएं:

ब्लॉक/क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण स्थलों का निर्धारण संबंधित एसआईआरडी द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण देने के लिए एसआरएलएम केंद्रों पर भी विचार किया जा सकता है। भागीदारों के लिए सामान्य न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी जो कि अच्छे भोजन, आवास, पेयजल, शौचालय, बाथरूम और क्रेच या बच्चों की देख-रेख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रिहायशी प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा कर सके। चुने गए प्रशिक्षण स्थल नि:शक्त व्यक्तियों के अनुकूल होने चाहिए और वहां वे सभी सदस्य आसानी से पहुंच सकें जो कि एसएचजी के नि:शक्त सदस्य हैं, जो कमजोर हैं तथा इनमें महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। बैच का आकार प्रति प्रशिक्षण 40 सहभागी हो सकता है। लगातार 4 दिनों तक प्रशिक्षुओं के साथ-साथ पाठ्यक्रम समन्वयकों को भी उपस्थित रहना होगा।

6. राज्य समन्वयन बैठक:

सामाजिक लेखा परीक्षा एकक राज्य-विशिष्ट रॉल आउट कार्यनीति तैयार करने के लिए राज्य-स्तरीय समन्वयन बैठक का आयोजन करेंगे जिसमें एसआरएलएम, राज्य एनआरईजीएस विभाग, एसआईआरडी के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। चुने गए संसाधन व्यक्ति-सह-पाठ्यक्रम समन्वयक को भी इस बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है। बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह बैठक अधिमानत: सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बुलाई जाएगी।

- एसएचजी के चयन की प्रक्रियाविधि
- प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना
- कार्यक्रम के लिए स्थलों का निर्धारण
- संसाधन व्यक्ति-सह-पाठ्यक्रम समन्वयक की तैनाती
- राज्य-विशिष्ट निगरानी कार्यनीति तैयार करना
- निधि प्रबंधन कार्यनीति
- नियमावली का स्थानीय भाषा में अनुवाद
- प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित कोई अन्य मामला।

7. मूल्यांकन

क) 4 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद सभी भागीदारों को मूल्यांकन परीक्षा देनी होगी (मूल्यांकन परीक्षण साधन ग्रामीण विकास मंत्रालय/एनआईआरडीपीआर द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे)।

ख) प्राप्त अंकों के आधार पर भागीदारों को तीन ग्रेड अर्थात ग्रेड ए (80 प्रतिशत और उससे अधिक), ग्रेड बी (60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक), ग्रेड सी (40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक) दिए जाएंगे।

ग) जिन भागीदारों को 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा और ऐसे भागीदारों को राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा एकक के तत्वावधान में पुनर्मूल्यांकन की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

घ) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ग्रेडिंग को सुधारना चाहता है (जैसे कि ग्रेड सी से ग्रेड ए) तो एसएयू अपने संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से उनके ग्रेड को बढ़ाने के लिए विशेष मूल्यांकन परीक्षण आयोजित कर सकता है।

8. निगरानी एवं प्रशिक्षित बैचों की जानकारी की अपलोडिंग:

प्रशिक्षण के सभी पहलुओं से संबंधित जानकारी को अपलोड करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक विशेष व्यवस्था की जाएगी। राज्य द्वारा एक विस्तृत राज्य-स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय निगरानी कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए। प्रशिक्षण ब्यौरों (शुरू करने की तारीख, पूरा करने की तारीख, स्थान, जगह, निगरानी दौरों का ब्यौरा) को अपलोड करने की जरूरत होगी। एसएयू में साप्ताहिक निगरानी रिपोर्टें रखी जाएंगी (अनुबंध-।।)

<u>प्रशिक्षण कार्यक्रम के वित्तीय पहलू</u>

9. अनुदान प्रवाह

क) एनआईआरडीपीआर अनुदान रिलीजों के लिए नोडल एजेंसी है। इस संबंध में एनआईआरडीपीआर में द सेंटर फॉर सोशल ऑडिट ऑफ एनआईआरडीपीआर मुख्य समन्वयन केंद्र है।

ख) राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा एकक अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य एजेंसी है।

ग) एनआईआरडीपीआर से अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों (तारीख, स्थल, संसाधन व्यक्तियों इत्यादि संबंधी ब्यौरों सहित) की सूची प्रस्तुत करना एक अनिवार्य शर्त है।

घ) राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा एककों को अनुदान का वितरण तीन किस्तों में किया जाएगा जो कि इस प्रकार है:

i. अग्रिम राशि के रूप में पहली किस्त (स्वीकृत अनुदान का 50 प्रतिशत)।

ii. पहली किस्त की 60 प्रतिशत राशि खर्च करने और एनआईआरडीपीआर द्वारा परिचालित किए गए नियत फॉर्मेट में खर्च संबंधी ब्यौरा (एसओई) एवं उपयोग प्रमाणपत्र (जीएफआर-12 सी) प्रस्तुत करने के बाद दूसरी किस्त (स्वीकृत अनुदान का 25 प्रतिशत)।

iii. खर्च के विवरण के साथ-साथ किए गए कुल वास्तविक खर्च का उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर तीसरी तथा अंतिम किस्त (स्वीकृत अनुदान का 25 प्रतिशत) रिलीज की जाएगी।

10. बजट

क) एसएचजी सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का बजट

प्रस्तावित बजट मानदंड निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मद का विवरण	राशि
1	डॉरमेटरी पर 4 दिनों के लिए प्रति भागीदार प्रतिदिन 300 रू. की दर से रहने का खर्च (300x4x40)	48,000
2	4 दिनों के लिए प्रति भागीदार प्रतिदिन 150 रू. की दर से भोजन का खर्च (150X4X40)	24,000
3	प्रति भागीदार 200 रू. की दर से पाठ्यक्रम सामग्री जिसमें पेन, पैड, कपड़े का थैला, पठन सामग्री होगी (200 X 40)	8,000
4	प्रतिदिन 2,000 रू. की दर से जगह का किराया (श्रव्य-दृश्य उपकरण, सार्वजनिक संबोधन सिस्टम इत्यादि सहित) (2,000 X 4)	4,000
5	प्रति भागीदार 50 रू. की दर से ग्रुप फोटो (50X40)	2,000
6	दो सदस्यों के लिए प्रति एक प्रमुख संसाधन व्यक्ति प्रति कार्यक्रम 2000 रू. की दर से संसाधन व्यक्ति शुल्क (2,000 X 2)	4,000
7	दो व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 500 रू. की दर से अतिथि व्याख्यान	1,000
8	प्रति भागीदार 500 रू. की दर से भागीदारियों का परिवहन भत्ता और अनुषांगिक प्रभार (500X40)	20,000
9	नजदीकी पंचायतों का क्षेत्र दौरा 3000 रू. की दर से	3,000
10	प्रति कार्यक्रम 1000 रू. की दर से एसएयू संसाधन व्यक्तियों के लिए निगरानी लागत	1,000
11	प्रति कार्यक्रम 5000 रू. की दर से अनुषांगिक व्यय (साथ में आने वाले बच्चों के भोजन, फोटोकॉपी, मूल्यांकन शुल्क, डाटा की अपलोडिंग पर खर्च तथा अन्य लागत, जिसे एसएयू उचित समझे, सहित)	5,000
	कुल	**1,20,000**

ख) एसएचजी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए एसएयू संसाधन व्यक्तियों के लिए दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का बजट

क्र.सं.	मद का विवरण	राशि
1	ट्विन शेयरिंग आधार पर दो दिनों के लिए प्रति भागीदारी प्रतिदिन 1000 रू. की दर से रहने का खर्च (1,000 X 2 X 25 कमरे) - 50,000/-	50,000
2	दो दिनों के लिए प्रति भागीदार प्रतिदिन 250 रू. की दर से भोजन का खर्च	25,000
3	प्रति भागीदार 200 रू. की दर से पाठ्यक्रम सामग्री जिसमें कलम, पैड, कपड़े का थैला, पठन सामग्री होगी (200 X 50)	10,000
4	प्रतिदिन 2,000 रू. की दर से जगह का किराया (श्रव्य-दृश्य उपकरण, सार्वजनिक संबोधन सिस्टम इत्यादि सहित) (2,000 X 2)	4,000
5	प्रति भागीदार 50 रू. की दर से ग्रुप फोटो (50X50)	2,500
6	प्रति भागीदार 500 रू. की दर से भागीदारियों की परिवहन लागत (500X50)	25,000
7	प्रति कार्यक्रम 5000 रू. की दर से अनुषांगिक व्यय (फोटोकॉपी करने का खर्च तथा अन्य लागत, जिसे एसएयू उचित समझे, सहित)	5,000
	कुल	**1,21,500**

ग) सभी स्टेक-होल्डरों (एसएयू, एसआरएलएम, एसआईआरडी और राज्य ग्रामीण विकास विभाग) के साथ समन्वयन बैठक - आधे दिन के दौरान

क्र.सं.	मद का विवरण	राशि
1	250 रू. (चाय, स्नैक्स और लंच) की दर से खाने का खर्च, 25 भागीदारों के लिए प्रति भागीदार 200 रू. की दर से (200X25)	6,250
2	जगह का खर्च 4,000 रू. की दर से	4,000
3	अनुषांगिक व्यय (फोटोकॉपी, स्टेशनरी इत्यादि)	4,750
	कुल	**15,000**

घ) बजट दावा/परिनिर्धारण प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रियागत पहलू

i. कार्यक्रम की शुरूआत करने से पूर्व संबंधित एसएयू को पहले से ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कार्ययोजना की विस्तृत समय-सीमा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें प्रशिक्षण की तारीखों एवं स्थानों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो। (अनुबंध-।।।)

ii. एसएयू सुरक्षा, प्रशिक्षण, संभार सहायता इत्यादि की उपयुक्त सुविधाओं का मूल्यांकन करने / इनसे संतुष्ट होने के पश्चात सहभागी संस्थाओं के साथ परामर्श करके प्रशिक्षण के लिए स्थान का चयन कर सकते हैं। एसआईआरडी के अलावा प्रशिक्षण के लिए

सहभागी संस्थाओं की सूची एनआईआरडीपीआर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है(अनुबंध-IV)। यदि एसएयू को कोई उपयुक्त सहभागी संस्था मिलती है, जो कि इस सूची में नहीं है तो वह एनआईआरडीपीआर की सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए केंद्र से विशेष अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।

iii. निकाली गई इकाई लागतों के आधार पर केंद्र द्वारा एनआईआरडीपीआर की सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रत्येक एसएयू के लिए किए गए समग्र अनुदान आवंटन के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें किश्त-वार अनुदान रिलीजों और इनके सहायक दस्तावेजों का ब्यौरा होगा।

iv. स्थानीय परिवहन व्ययों और अनुषांगिक प्रभारों पर हुए खर्चों का भुगतान एसएचजी सदस्यों को किया जाएगा जो कि अधिकतम 500 रू. है (ऐसा इस वजह से है कि यह प्रशिक्षण ब्लॉक में ही दिया जाता है।)

v. खर्च के विवरण, जिसमें निर्धारित बजट में व्यय के शीर्ष को दर्शाया गया हो, के साथ-साथ उपयोग प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) प्रस्तुत करने पर दूसरी तथा तीसरी किश्त की मांग की जा सकती है।

अनुबंध-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	गहन ग्राम पंचायतों की संख्या			एसएचजी सदस्य / ग्राम पंचायत जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है	एसएचजी सदस्यों की कुल संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है	कुल बैच जिन्हें संगठित किया जाना है
		एनआर एलएम	एनआर एलपी	कुल जोड़			
1	आंध्र प्रदेश	12,706	-	12,706	3	**38,118**	953
2	असम	788	359	1,147	3	**3,441**	87
3	छत्तीसगढ़	3,226	1,512	4,738	3	**14,214**	356
4	झारखंड	147	1,705	1,852	3	**5,556**	139
5	कर्नाटक	2,036	616	2,652	3	**7,956**	199
6	मध्य प्रदेश	7,700	3,544	11,244	3	**33,732**	844
7	ओडिशा	2,457	566	3,023	3	**9,069**	227
8	तमिलनाडु	7,819	458	8,277	3	**24,831**	621
9	तेलंगाना	1,182	-	1,182	3	**3,546**	89
10	पश्चिम बंगाल	1,150	311	1,461	3	**4,383**	110
कुल जोड़		**39,211**	**9071**	**48,282**		**144,846**	**3625**

अनुबंध-।।

एसएयू द्वारा अपलोड और रख-रखाव की जाने वाली जानकारी

तालिका 1 : आयोजित पाठ्यक्रमों की तालिका

वीआरपी बैच की आईडी	राज्य का नाम	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	स्थान का नाम	पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता 1 का संदर्भ	पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता 2 का संदर्भ	शुरू करने की तारीख	समाप्त करने की तारीख	कुल व्यय
1					CC2	CC16			

तालिका 2 : प्रशिक्षित एसएचजी सदस्यों की तालिका

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	पंचायत का नाम	हेमलेट का नाम	प्रशिक्षित व्यक्ति का नाम	प्रशिक्षित व्यक्ति के पति/पत्नी/ पिता का नाम	लिंग (पुरूष/महिला/ अन्य)	समुदाय (अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./अन्य)	फोन नंबर	एसएचजी का नाम	जॉब कार्ड संख्या	शैक्षिक अर्हता	पाठ्य क्रम में ग्रेड	बैंक खाता संख्या	बैंक का आईएफए ससी कोड
													प्राइमरी (5वीं कक्षा)/ मीडिल (8वीं कक्षा) / सैकण्डरी (10वीं^{h} कक्षा)/ सीनियर सैकण्डरी (12वीं कक्षा) / स्नातक /स्नातकोत्तर			

तालिका 3 : पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता की तालिका

क्र.सं.	राज्य का नाम	पदनाम (एसआरपी/ डीआरपी/ बीआरपी)	प्रशिक्षित व्यक्ति का नाम	प्रशिक्षित व्यक्ति के पति/पत्नी/ पिता का नाम	जॉब कार्ड संख्या	लिंग (पुरूष/महिला/ अन्य)	समुदाय (अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./अन्य)	फोन नंबर	शैक्षिक अर्हता	पाठ्यक्रम में ग्रेड
CC1, CC2, इत्यादि								10 अंकों में		

अनुबंध-।।।

निधि की रिलीज के लिए नीचे एक प्रारूप दिया गया है जिसे एनआईआरडी और पीआर को भेजा जाए

क्र.सं.	एसएचजी सदस्यों का ब्यौरा (बैच-वार)	एसएचजी सदस्यों की संख्या	स्थान	शुरू करने की तारीख - समाप्त करने की तारीख	संसाधन व्यक्ति का नाम	आवश्यक बजट					टिप्पणी
						इकाई लागत	कुल जोड़	पहली किश्त (50%)	दूसरी किश्त (25%)	तीसरी किश्त (25%)	
1	बैच-1										
2	बैच-2										
3	बैच-3										
4	बैच-4										

(बैच की वास्तविक संख्या शामिल की जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यक्रम के लिए स्थान, बोर्ड और आवास की सुविधा के लिए की गई व्यवस्था, संसाधन व्यक्तियों की गुणवत्ता संतोषजनक है।

(प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

अनुबंध-IV

एनआईआरडी और पीआर द्वारा सहयोगी संस्थाओं की सुझाई गई सूची नीचे दी गई है। यदि एसएचजी-वीआरपी के लिए प्रशिक्षण एवं स्थान की आवश्यकता है तो इनसे संपर्क किया जाए।

सहभागी का नाम और पता	फोन/मोबाइल नंबर	ई-मेल आईडी
मध्य प्रदेश		
श्री योगेश राठौड़ परामर्शदाता एसएचओडीएच - सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमेनिटी 29, ईडन गार्डन, चूनाबत्ती रोड **भोपाल (एमपी)**	0755 – 2495892 (O) 09425150660	Shodh_mp@yahoo.com
डॉ. मेहुल चौहान निदेशक **ग्रामोद्योग संस्थान** मनादेही, महाराजपुर **मंडला** **मध्य प्रदेश**	09977064882 (M)	mehsbpods@gmail.com
डॉ. मेहुल चौहान निदेशक **ग्रामोद्योग संस्थान** मनादेही, महाराजपुर **मंडला** **मध्य प्रदेश**	09977064882 (M)	mehsbpods@gmail.com
प्रो. यतींद्र सिंह सिसोदिया निदेशक मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान (एमपीआईएसएसआर) **उज्जैन,** **मध्य प्रदेश**	9425380127	
पश्चिम बंगाल		
डॉ. उज्जैनी हलीम समन्वयकर्ता **स्व-रोजगार निगरानी संस्थान (आईएमएसई)** 195, जोधपुर पार्क **कोलकाता - 700 068** **पश्चिम बंगाल**	033 - 24836491 (O) 033 – 0475571 (Fax) 09831124736 (M) 09830299326 (M)	ujjainihalim@gmail.com bipimse@col.vsnl.net.in
श्री रंजन कांती पांडा	033 – 24978192	ranjan@xcinindia.org

उप निदेशक **चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (सीआईएनआई)** गांव: दौलतपुर, पिलान दक्षिण 24 परगना **कोलकाता - 700 104** पश्चिम बंगाल	24978206 (O) 033 – 24978241 (F) 09431707728 (M)	
झारखंड		
डा. एम. एच. अंसारी प्रो. और प्रमुख एक्सआईएसएस (XISS) पुरुलिया रोड **रांची - 834 001** **(झारखंड)**	0651 – 2200873 (O) 09431103362 (M)	Mhansari.xiss@gmail.com
डॉ. सीमा नाथ कार्यकारी निदेशक श्रमजीवीउन्नावन एटी एंड पीओ: गोबरघुसी, वाया पतामदा **जिला पूर्वी सिंहभूम - 832105** **झारखंड**	08986770542 (M)	info@shramjiviunnayan.org su.jharkhand@gmail.com seema.nath.sinp@gmail.com
तेलंगाना		
डॉ. पी.एस. जानकी कृष्ण एसोसिएट प्रोफेसर लोक उद्यम संस्थान उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर **हैदराबाद** - 500 007 तेलंगाना	040 – 27097445 (O) 09989297305 (M)	janaki@ipeindia.org
श्री आर. श्रीनिवास राव कार्यक्रम अधिकारी **पीआरआईए क्षेत्रीय कार्यालय** 2-1-340, यूनिवर्सिटी रोड, गवर्नमेंट फीवर हास्पिटल के नजदीक नल्लाकुंटा **हैदराबाद - 500 044** तेलंगाना	040 – 66668060 (O) 09393386293 (M)	Srinivasa.rao@pria.org
डॉ. ई. वेंकटेशु संकाय राजनीति विज्ञान विभाग **हैदराबाद विश्वविद्यालय** गाचीबोवली हैदराबाद -	040 – 23133230 (O) 09441482535 (M)	Evs103@gmail.com

तेलंगाना		
डॉ. चन्नावीर, आर.एम. प्रमुख समाज कार्य विभाग केन्द्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय काडागेमची **कलाबुरगी - 585 367** कर्नाटक	09481865044 (M)	drchannaveer@yahoo.com
श्री दिनेश सिंह कार्यक्रम प्रबंधक **समर्थन** (विकास सहायता केंद्र) मकान नं. 1, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे केपीएस दुंडा रोड, देवपुरी रायपुर छत्तीसगढ़	0771 – 4057826 (O) 0771 – 2468663 (F) 09826253240 (M)	Dineshsingh2006@rediffmail.com
तमिलनाडु		
श्री नंदकुमार, एस. रिसर्च एसोसिएट **ट्रस्ट फॉर विलेज सेल्फ गवर्नेंस** 397/1, पादुर रोड, कुथंबक्कम (दक्षिण) **जिला तिरुवल्लुर** तमिलनाडु	09710230036 (M)	Nanda.mse@gmail.com